नगर पालिक निगम भिलाई

मासिक पत्रिका
जुलाई 2020

नगर पालिक निगम भिलाई

श्री देवेन्द्र यादव
महापौर

संदेश

शहर में निवासरत सभी नागरिकों को शुभकामना, मैं अपनी पूरी क्षमता व लगन के साथ प्रयासरत हुं कि अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत सुविधा पहुंचे। हम अपने इस लौह नगर को स्वच्छता, पानी, बिजली, सड़क, व्यवस्थित बाजार, पार्क, उद्यान,खेल-कूद, शिक्षा, आपसी प्रेम भाईचारा, सांस्कृतिक महोत्सव, आदि सभी **क्षेत्रों** में अग्रणी बनायेंगे। हम सब लोग मिलकर ही अपने शहर को स्वच्छ भिलाई सुन्दर भिलाई व स्वस्थ भिलाई बना सकतें है।

श्री देवेन्द्र यादव
महापौर
नगर पालिक निगम
भिलाई

वार्ड 26 में पौनी पसारी योजना के लिए महापौर ने किया भूमिपूजन

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई, क्षेत्र अंतर्गत पौनी पसारी योजना की शुरूआत हो चुकी है। वार्ड 26 में बनने वाले पौनी पसारी बाजार के लिए आज महापौर एवं विधायक भिलाईनगर देवेन्द्र यादव ने क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति में भूमिपूजन किया और पारंगत वस्तुओं के व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को बधाई दिए। निगम क्षेत्र में योजना की शुरूआत होने से असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों, कारीगरों एवं स्व-सहायता समूह की महिलाओं को कौशल उन्नयन हेतु बेहतर मंच मिलेगा। बाजार में टीन शेड के नीचे 15 चबूतरा बनाए जाएंगे, टायलेट एवं पेयजल सहित सभी सुविधा उपलब्ध होगी। मान. मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन की प्रेरणा से राज्य प्रवर्तित पौनी पसारी योजना के तहत भिलाई निगम के जोन 02 क्षेत्रांतर्गत वार्ड 26 में पौनी पसारी योजना के लिए बाजार बनाने महौपार श्री यादव ने भूमिपूजन किए। साप्ताहिक बाजार एवं पौनी पसारी स्थानीय छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के उददेश्य से बनने वाले बाजार में असंगठित क्षेत्र के सिलाई-बुनाई, चटाई, बांस के उत्पाद, दोना पत्तल, मिट्टी के बर्तन, सजावटी सामान जैसे परंपरागत व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों, कारीगरों एवं स्व-सहायता समूह की महिलाओं को कौशल उन्नयन हेतु एक बेहतर अवसर मिलेगा जिससे वे आर्थिक मजबूती होने के साथ ही छत्तीसगढ़ की पुरानी परंपराओं को बढ़ावा मिलेगा।जोन 02 के उप अभियंता निखत सबरीन ने बताया कि पौनी पसारी बाजार के लिए 28 लाख की लागत से निर्माण कार्य किए जाएंगे।

3 करोड़ की लागत से केम्प क्षेत्र में तैयार हो रहा है, सुविधायुक्त सर्व समाज मंगल भवन, महापौर और आयुक्त ने अधिकारियों के साथ लिया निर्माण का जायजा

भिलाई नगर। महापौर व भिलाई नगर विधायक श्री द्रेवेन्द्र यादव व निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने खुर्सीपार तेलहा नाला का जायजा लिया। महापौर श्री यादव ने 3 करोड़ की लागत से तेलहा नाला रिटेनिंग वाॅल निर्माण सहित अन्य प्रस्तावित कार्य को लेकर चर्चा किया। महापौर ने नक्शा के अनुसार तेलहा नाला के कार्य को जल्द शुरू कराने कहा। महापौर और आयुक्त ने अधिकारियों के साथ नंदनी रोड करूणा अस्पताल के सामने की पुलिया, 32 एकड़ क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड में बहने वाली तेलहा नाला की निकासी व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। वहीं जोन 3 की आयुक्त प्रीति सिंह ने महापौर को बताया कि नाला के किनारे के कुछ निर्माण नाला के विकास में बाधा बन रहे हैं, जिन्हें हटाने के लिए सहमति प्राप्त कर ली गई है।

सर्व समाज मंगल भवन के लिए जल्द कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश

महापौर और आयुक्त ने वार्ड 25 बैकुंठधाम के बाजू में निर्माणाधीन सर्व समाज डाॅ भीमराव अंबेडकर मंगल भवन का अवलोकन किया। महापौर ने अधिकारियों को मंगल भवन के निर्माण में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान महापौर परिषद के सदस्य व वार्ड पार्षद दुर्गा साहू, डाॅ दिवाकर भारती, अधीक्षण अभियंता सत्येन्द्र सिंह, आरके साहू, कार्यपालन अभियंता डीके वर्मा, उप अभियंता श्वेता वर्मा मौजूद रही।

17 करोड़ की लागत से कोसानाला का सौंदर्यीकरण, महापौर परिषद की बैठक में निविदा दर को दी स्वीकृति

भिलाई नगर । महापौर व भिलाई नगर विधायक श्री देवेन्द्र यादव की अध्यक्षता एवं आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी की उपस्थिति में गुरुवार को नगर पालिक निगम के सभागार में महापौर परिषद की बैठक हुई। जहां 17 करोड की लागत से प्रस्तावित कोसानाला का विकास एवं सौदर्यीकरण कार्य सहित कुल दो प्रस्ताव पर चर्चा हुई। परिषद के सदस्यों ने निविदा कमेटी की अनुशंसा के अनुसार कोसानाला का विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लिए प्राप्त निविदा दर को सर्वसम्मति से पास करते हुए सामान्य सभा में भेजने का निर्णय लिया गया है। महापौर परिषद के सदस्यों ने जोन.क्रमांक -5 टाउनशिप अंतर्गत वार्डों की आकस्मिक साफ-सफाई व्यवस्था के संबंध में प्राप्त निविदा को निविदा क्रय समिति की अनुशंसा के अनुसार स्वीकृति दी है। न्यूनतम दर दाता से जोन-5 अंतर्गत टाउनशिप के वार्डों का आकस्मिक कार्य कराने को महापौर परिषद ने पास किया है। बैठक में महापौर परिषद के सदस्य नीरज पाल, लक्ष्मीपति राजू, जोहन सिन्हा, डाॅ दिवाकर भारती, दुर्गा प्रसाद साहू, सूर्यकांत सिन्हा, साकेत चंद्राकर, सत्येन्द्र बंजारे, जी राजू, सुशीला देवांगन, सदीरन बानो, सोशन लोगन, निगम उपायुक्त अशोक द्विवेदी, अधीक्षण अभियंता आरके साहू, सचिव जीवन वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे

निगम के सभागार में अधिकारी कर्मचारियों को टूलकिट के बारे में दी जानकारी

भिलाई नगर। नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। जहां शहरी राज्य अभिकरण रायपुर के पीयूआई के हरीश ठाकुर ने निगम के अधिकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय शहरी आवास मंत्रालय की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के अंतर्गत जारी टूलकिट गाइडलाइन पुस्तिका और ई-लर्निंग कोर्स के बारे में बताया। निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी, उपायुक्त श्री अशोक द्विवेदी, उपायुक्त श्री तरूण पाल लहरे, अधीक्षण अभियंता आरके साहू, सभी जोन आयुक्त, ईई, एई, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रा, जोन के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक व पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में पावर पाइंट के माध्यम से टूलकिट स्वच्छ सर्वेक्षण-2021,ई-लर्निंग कोर्स, स्वच्छता से संबंधित गाइडलाइन, लोगों से फीडबैक, सर्वेक्षण और डाक्यूमेंट से संबंधित कार्यों को वीडियो के माध्यम से प्रेजेंटेशन दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण के 26 बिदुंओं पर निर्धारित अंक, तीन-तीन माह की अंतराल में होने वाले सर्वेक्षण और कचरे का निष्पादन के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को गाइडलाइन के मुताबिक सोशल फीडबैक, कचरों का पृथकीकरण, सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के निष्पादन के साथ हानिकारक कचरों के विनिष्टीकरण जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रोजेक्टर के माध्यम से जानकारी दी गई।निगम आयुक्त श्री रघुवंशी ने सभी अधिकारियों को स्वच्छ सर्वेक्षण के गाइडलाइन के मुताबिक कार्य करते हुए सभी सरर्टीफीकेशन निर्धारित समय पर पूरा करने के निर्देश दिए तथा भिलाई निगम क्षेत्र में स्वच्छता के प्रति आम नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने पर कार्य करने कहा गया।

आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने बैठक लेकर गोधन न्याय योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत गोधन न्याय योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने जोन आयुक्त एवं निगम के अधिकारियों की बैठक ली! उन्होंने योजना के बेहतर कार्य करने को लेकर निगम के अधिकारियों को टिप्स दिए और योजना के विस्तारीकरण पर चर्चा की! आज से गोधन न्याय योजना की शुरुआत हो चुकी है और गौठान में गोबर खरीदी का कार्य प्रारंभ हो गया है! गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक अपना पंजीयन करा रहे हैं! ***गौठान का होगा विस्तारीकरण*** वर्तमान में नगर निगम भिलाई क्षेत्र में एक ही गौठान संचालित है! गौठान के विस्तारीकरण के तहत भिलाई निगम द्वारा और भी गौठान बनाया जाएगा जिसके लिए स्थल चयन किया जा रहा है! इस बाबत आयुक्त ने सभी जोन आयुक्त एवं सहायक राजस्व अधिकारी को शीघ्र स्थल चयन करने के निर्देश दिए हैं! बैठक में सेमरिया के स्थल को लेकर चर्चा की गई! बता दें कि निगम के लिए एलॉटेड बड़ी भूखंड वहां उपलब्ध है इसे प्रस्तावित कर उपयोग में लाया जा सकता है!

उच्च गुणवत्ता की कंपोस्ट के लिए फील्ड में होगा प्रशिक्षण निगम आयुक्त ने गोधन न्याय योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कंपोस्ट की गुणवत्ता पर भी जोर दिया है जहां पहले से ही वर्मी कंपोस्ट का कार्य अच्छे से हो रहा होगा वहां पर निगम अधिकारी जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे! प्रशिक्षण में वर्मी कंपोस्ट बेड, स्ट्रक्चर, बनाने की विधि सहित संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जाएगी! ***एस एल आर एम सेंटर परिसर में होगा गोबर कलेक्शन सेंटर*** एसएलआरएम सेंटर परिसर में गोबर खरीदी केंद्र बनाया जाएगा! उपायुक्त तरुण पाल लहरें ने बताया कि इस सेंटर में गोबर खरीदी केंद्र बनाया जाएगा साथ ही वर्मी कंपोस्ट बेड भी होगा! आयुक्त रघुवंशी ने इसकी बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किए हैं! बैठक में अधीक्षण अभियंता आरके साहू, उपायुक्त अशोक दिवेदी एवं तरुण पाल लहरें, जोन आयुक्त सुनील अग्रहरी, प्रीति सिंह, पूजा, अमिताभ शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा एवं सहायक स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, कार्यपालन अभियंता बीके देवांगन, संजय शर्मा, डीके वर्मा, टीके रणदिवे, एनयूएलएल से फणींद्र बोस आदि उपस्थित रहे!

महापौर एवं भिलाई नगर विधायक श्री देवेंद्र यादव के प्रयासों से अब 10 करोड़ की लागत से बनेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जोन क्रमांक 4 क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा! इस प्लांट की खासियत यह होगी कि वर्तमान में खुर्सीपार में बने हुए बीएसपी क्षेत्र के जोन क्रमांक 1, जोन क्रमांक 2 एवं जोन क्रमांक 3 जो कि वार्ड क्रमांक 36 तथा 37 एवं आसपास के वार्ड को सम्मिलित किया हुआ है इन एरिया के मल जल, गंदा पानी, बरसाती पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से शुद्ध करने का कार्य किया जाएगा! वर्तमान में खुर्सीपार अंतर्गत बीएसपी क्षेत्र के जोन क्रमांक 1,2,3 में निर्मित बीएसपी क्वार्टर से निकला हुआ गंदा पानी तेलहा नाला में बहाया जा रहा है! जिससे नाले का पानी प्रदूषित हो रहा है! बता दें कि सीवेज सिस्टम पूर्व से बीएसपी के समय का बिछा हुआ है, परंतु प्रबंधन द्वारा उपचारित नहीं किया जा रहा है! प्रदूषण से बचाने के लिए तेलहा नाला के दोनों तरफ निगम द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा!

चार करोड़ 16 लाख की लागत से स्थापित होगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सहायक अभियंता अखिलेश चंद्राकर ने जानकारी देते हुए बताया कि दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा! खुर्सीपार अंतर्गत आने वाले बीएसपी के जोन क्रमांक एक में 1.1 एमएलडी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा जोन क्रमांक दो एवं तीन के क्षेत्र को कवर करते हुए तीन एमएलडी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा, इन दोनों एमएलडी को बनाने की लागत तकरीबन चार करोड़ 16 लाख की होगी! इसके अतिरिक्त पंप, स्टोरेज कलेक्शन एवं पाइप का विस्तारीकरण भी किया जाएगा! तेलहा नाला को प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन जाने से खुर्सीपार क्षेत्र के बीएसपी क्वार्टर एवं एवं समीप का बरसाती पानी, मलजल एवं गंदा पानी को तेलहा नाला में बहाने के बजाय इससे ट्रीटमेंट कर शुद्ध किया जाएगा उसके उपरांत ही नाला में बहाया जाएगा! माननीय एनजीटी के भी निर्देश के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बेहद आवश्यक हो गया है!

ट्रीटमेंट उपरांत सिंचाई में किया जा सकता है उपयोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उपचारित करने के पश्चात शुद्ध पानी का उपयोग पौधों एवं उद्यानों की सिंचाई में किया जा सकता है खासकर ग्रीष्म ऋतु में पानी की अधिक आवश्यकता होती है!

भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण पर निगम की टीम ने की कार्रवाई

भिलाई नगर। नगर पालिक निगम के जोन-1 की टीम ने भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण की शिकायत पर वार्ड-7 फरीदनगर के अंतर्गत दुर्गा नगर निवासी डाॅ रजिया परवीन के भवन की नापजोख किया। अनुमोदित नक्शा का उल्लंघन कर बनाई गई अतिरिक्त निर्माण को स्वयं हटा लेने की कहा। अतिरिक्त निर्माण को नहीं हटाए जाने पर निगम प्रशासन की ओर से तोड़फोड़ किए जाने की चेतावनी दी गई। निगम से वार्ड-7 दुर्गा नगर में सतनाम भवन के सामने डा रजिया परवीन को अनुज्ञा जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने अनुज्ञा का उल्लंघन करते हुए फ्रंट, साइड और बैक साइड में अतिरिक्त निर्माण कर लिया है। इसकी मोहल्ले के लोगों ने शिकायत की है। शिकायत के आधार पर जोन-1 आयुक्त सुनील अग्रहरि के निर्देश पर भवन अनुज्ञा विभाग के अभियंता अनिल सिंह एवं सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे की टीम ने दुर्गा नगर सतनाम भवन के सामने निर्मित मकान का नापजोख किया।

Editorial Board

श्री ऋतुराज रघुवंशी
आयुक्त
आई.ए.एस.
नगर पालिक निगम
भिलाई

Contact & Address

श्री पी.सी सार्वा
जनसंपर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई